184

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांकः–6बी / वि0–1012 / 2021–1012

प्रेषक,

दया शंकर मिश्र,
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल (योजना एवं रूपांकण तथा यांत्रिक प्रमंण्डल छोड़कर),
बिहार।

पटना / दिनांकः–26 / 10 / 2021

विषयः– जलापूर्ति योजनाओं के मरम्मति एवं रख–रखाव के विपत्र के भुगतान के संबंध में।
प्रसंगः–विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6बी0 / वि0–1012 / 2021–543, दिनांक–28.06.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक संकल्प द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश निर्गत है। अनुदेश की कंडिका 3ज. में जलापूर्ति योजना के संचालन एवं रख–रखाव विपत्रों के भुगतान के संबंध वर्णित है। संवेदक / एजेंसी को योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य सफलतापूर्वक निर्वहन किये जाने के उपरांत (जलापूर्ति योजना वार निर्धारित प्रपत्र एवं अनुलग्नको के साथ) त्रैमासिक विपत्र समर्पित किया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त प्रावधान के क्रम में संचालन एवं रख–रखाव यथा विपत्र के भुगतान के संबंध में निम्नवत् निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा–

1. संवेदक / एजेंसी द्वारा संचालन एवं रख–रखाव यथा प्रावधानित विपत्र में वांछित सूचनाओं को अंकित करते हुए कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में जमा कराते हुए प्राप्ति प्राप्त किया जायेगा (विपत्र प्रारूप संलग्न)।
2. संवेदक / एजेंसी द्वारा विपत्र के साथ निंम्नलिखित अनुलग्नक अनिवार्य रूप से समर्पित किये जायेंगे–
    a. प्रतिवेदित महिनों (अवधि) के जलापूर्ति लॉग बुक की छायाप्रति (कनीय अभियंता एवं अध्यक्ष, WIMC द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जायेगी। अध्यक्ष, WIMC की अनुपस्थिति में WIMC के न्यूनतम तीन सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा)

b. प्रतिवेदित अवधी का विद्युत उपभोग रीडिंग पत्र एवं प्री पेड रिचार्ज कुपन की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि (वास्तविक बिजली बिल)

c. जलापूर्ति किये गये पेयजल का गुणवत्ता जाँच रिर्पोट की छायाप्रति, यदि प्रतिवेदित अवधि में प्रोटोकॉल के अनुसार एक से अधिक जल जाँच किय जाना हो, तो सभी रिर्पोट और यदि नहीं किया जाना हो, तो विगत जाँच रिर्पोट (विभागीय प्रयोगशाला द्वारा निर्गत किया हुआ)

d. प्रतिवेदित माह के विवरण को प्रदर्शित करने वाले शिकायत पुस्तिका के अंश की छायाप्रति (कनीय अभियंता एवं अध्यक्ष, WIMC द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जायेगी। अध्यक्ष, WIMC की अनुपस्थिति में WIMC के न्यूनतम तीन सदस्यों का हस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा)/मोबाईल एप्प में दर्ज शिकायत के निवारण का वृत।

e. पम्प ऑपरेटर एवं पंचायत स्तरीय मरम्मति दल को प्रतिवेदित महीनों में भुगतान किये मानदेय का प्रमाणक।

3. कार्यपालक अभियंता द्वारा प्राप्त विपत्र को एक कार्य दिवस के अन्दर संबंधित सहायक अभियंता के माध्यम से कनीय अभियंता को उपलब्ध कराते हुए भुगतान संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

4. कनीय अभियंत का दायित्व होगा कि अधिकतम तीन कार्य दिवस के अन्दर जाँचोपरान्त विपत्र को मापपुस्त पर अंकित कर सहायक अभियंता को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। सहायक अभियंता अधिकतम 48 घंटों में जाँचोपरान्त अपनी अनुशंसा के साथ प्रमंडल में समर्पित करेंगे। कार्यपालक अभियंता एक सप्ताह के अन्दर योजना मद् में निधि उपलब्धता के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करायेंगे। निधि नहीं होने की स्थिति में अधियाचना विहित प्रपत्र के साथ मुख्यालय को समर्पित की जायेगी।

5. संवेदक/एजेंसी द्वारा समर्पित विपत्र जाँच के क्रम में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि विभागीय मरम्मति दल के द्वारा मरम्मति का कार्य संपादित किया गया हो, तो कार्य संपादन की लागत राशि और शत प्रतिशत जुर्माना–राशि की कटौती की गई है। बाधित जलापूर्ति के विरूद्ध कटौती के क्रम में आई0ओ0टी0 प्रतिवेदन से भी मिलान किया जायेगा और प्रतिवेदन की प्रति पारित विपत्र के साथ संलग्न की जायेगी। बाधित जलापूर्ति की स्थिति में एकरारनामा के प्रावधान के अनुरूप प्रति बाधित जलापूर्ति दिवस के लिए अधिकतम रू0 2000 की कटौती की जा सकेगी।

6. विभागीय पदाधिकारियों द्वारा यदि योजना का निरीक्षण किया गया हो और एतद् संबंधि भ्रमण प्रतिवेदन प्राप्त हो, तो वर्णित निरीक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्रवाई को विपत्र के कार्यालय उपयोग हेतु भाग में अंकित किया जायेगा।

अतः निदेश दिया जाता है कि तत्काल प्रभाव से जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव हेतु विपत्र प्राप्त किये जाने और इसके भुगतान हेतु प्रदत निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और प्रदत निदेशों के बारे में संवेदकों को भी जानकारी दी जाय।

अनुलग्नकः यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

(दया शंकर मिश्र)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

186

ज्ञापांक– 6बी/वि0–1012/2021–1012 पटना, दिनांक–26/10/2021

प्रतिलिपिः–सभी अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल (यांत्रिक प्रमंडल छोड़कर) को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि अंचल स्तर संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता को संचालन एवं रख–रखाव से संबंधित प्रदत्त निदेशों के अनुपालन पर उन्मुखीकरण करेंगे।

ह0/–

(दया शंकर मिश्र)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 6बी/वि0–1012/2021–1012 पटना, दिनांक–26/10/2021

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, पटना/मुजफ्फरपुर/पूर्णियाँ/भागलपुर को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

(दया शंकर मिश्र)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 6बी/वि0–1012/2021–1012 पटना, दिनांक–26/10/2021

प्रतिलिपिः– सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव, को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(दया शंकर मिश्र)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– 6बी/वि0–1012/2021–1012 पटना, दिनांक–26/10/2021

प्रतिलिपिः–मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आप्त सचिव को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(दया शंकर मिश्र)

अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव